सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीय मंत्री खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–11.06.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे संपन्न खेल विभाग की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री मिहिर कुमार सिंह, विकास आयुक्त, बिहार, पटना।
2. श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग।
4. श्री विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव, खेल विभाग।
5. श्री मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. श्री प्रणव कुमार, सचिव, भवन निर्माण विभाग।
7. श्री कंवल तनुज, सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
8. श्री रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना।
9. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
10. श्री रजनीश कुमार सिंह, अपर मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन।
11. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
12. श्री अनिल कुमार, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग।
13. श्री गोपाल कुमार, उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव, खेल विभाग द्वारा माननीय मंत्री महोदया का स्वागत किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर प्रस्तुति दी गयी :–

(1) सात निश्चय–03 के निश्चय–06 मजबूत आधार आधुनिक विस्तार।
(2) राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सचिवों की पंचम कार्यशाला।
(3) वार्षिक खेल स्कीम के व्यय की समीक्षा।

1. सात निश्चय–03 के निश्चय–06 मजबूत आधार आधुनिक विस्तार

(क) पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण

पटना जिला के पुनपुन प्रखण्ड के राजस्व ग्राम डुमरी में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस स्पोर्ट्स सिटी में खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु कुल 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त कुल ₹ 574,33,90,125/– (पाँच सौ चौहत्तर करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार एक सौ पच्चसी रूपये) मात्र का संकल्प निर्गत है तथा समाहर्त्ता, पटना को भवन निर्माण विभाग के माध्यम से अबतक ₹ 244 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। वर्त्तमान में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

इस विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी में खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के संबंध में विकास आयुक्त, बिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित/निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का अध्ययन कर लिया जाय। अध्ययन के उपरान्त पटना में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में अपेक्षित खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर कंसलटेन्ट

की नियुक्ति हेतु निविदा प्रकाशित की जाय तथा कंसलटेन्ट को देश के अन्य राज्यों में निर्मित/निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का अध्ययन कर PPR समर्पित करने हेतु डेढ़ माह का समय दिया जाय।

भू–अर्जन मद में इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि को समाहर्त्ता, पटना को उपलब्ध करा दिया जाय तथा प्रत्येक माह में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा बैठक करने का सुझाव विकास आयुक्त द्वारा दिया गया है।

(ख) सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाना है। अभी तक 30 जिलों से जिला स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु स्थल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा 8 जिलों से स्थल संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। तीन जिलों यथा–अरवल, मधेपुरा एवं किशनगंज में दिनांक–15.06.2026 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन किया जाना है।

विकास आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम शेष 08 जिलों से जल्द से जल्द प्रस्ताव प्राप्त करने तथा सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिनांक–30.09.2026 तक स्थापित एवं संचालित किए जाने का सुझाव दिया गया।

(ग) **सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को बेहतर बनाना**

राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन कर लिया गया है खेल क्लब को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु खेल उपष्कर आदि की व्यवस्था हेतु राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों की सूची में शामिल करने हेतु सचिव, पंचायती राज विभाग को सुझाव दिया गया है।

राज्य में कुल 4701 ग्राम पंचायतों को आच्छादित करते हुए 5273 पंचायत स्तरीय खेल मैदान का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत स्तरीय खेल मैदान के निर्माण हेतु मानक में संशोधन करने के पश्चात् भी कुल 2878 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान हेतु भूमि चिन्हित नहीं किया जा सका है।

इस संबंध में विकास आयुक्त, बिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि कुल 2878 ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर राज्य के विद्यालयों में उपलब्ध स्थल पर VB-G RAM G योजना से खेल मैदान का निर्माण कराया जा सकता है।

(घ) मेडल लाओ – नौकरी पाओ

मेडल लाओ – नौकरी पाओ योजना के तहत अधिसूचित नई नियमावली, 2023 के अन्तर्गत विज्ञापन वर्ष 2023 एवं 2024 में कुल 158 खिलाड़ियों को नौकरी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियुक्ति की जा चुकी है। इससे पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना अन्तर्गत कुल 300 खिलाड़ियों की नियुक्ति की गयी है। विज्ञापन वर्ष 2025 में खिलाड़ियों के ट्रायल बेस पर नियुक्ति हेतु कुल 134 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें कुल 7 खिलाड़ी नियुक्ति हेतु योग्य पाये गये तथा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन वर्ष 2026 के लिए मेडल लाओ – नौकरी पाओ योजनान्तर्गत दिनांक–05.06.2026 से 20.06.2026 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

(च) राज्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से प्राप्त आयोजन से संबंधित खेल कैलेण्डर के अन्तर्गत कुल 5 राज्य स्तरीय एवं 1 अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में जानकारी दी गयी।

विकास आयुक्त द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में आयोजन से संबंधित शीर्ष में उपलब्ध राशि के अन्तर्गत होने वाले सभी आयोजनों को सीमित रखे जाने एवं उक्त अनुसार खेल कैलेण्डर का निर्माण तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने का सुझाव दिया गया।

(छ) प्रगति यात्रा से संबंधित खेल अवसंरचना (राज्य स्तरीय एक्सीलेंस सेंटर)

प्रगति यात्रा के दौरान राज्य के कुल 13 जिलों में 14 खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। वर्त्तमान में 11 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा जहानाबाद एवं भागलपुर जिला में चिन्हित भूमि का कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है तथा बक्सर जिला में पूर्व में चिन्हित 6 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 1.5 एकड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग से अप्राप्त है।

इस संबंध में विकास आयुक्त द्वारा कार्य की प्रगति के संबंध में असंतोष व्यक्त करते हुए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि को विभाग स्तर पर संवेदकों के साथ बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संवेदक से जुर्माना वसूलने का सुझाव दिया गया।

2. राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सचिवों की पंचम कार्यशाला।

Physical Literacy, Education and Fitness Activities

(i) Introduction of physical literacy report card at school level – Initially in government schools on a PILOT BASIS to track motor skills and fitness levels, delinked from competitive outcomes.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा 15 दिनों में फिजिकल लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट बनाया जाय एवं शिक्षा विभाग खेल विभाग से समन्वय स्थापित कर राज्य के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के माध्यम से इसे लागू करवाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण से ये गाईडलाइन प्राप्त करते हुए उसे भी अपनी गाईडलाईन में जोड़कर अपडेट करें। इन गाईडलाईन को शिक्षा विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में लागू करें।

(ii) Introduce age-appropriate yoga and physical activities in early childhood education, along with dedicated training for Anganwadi Workers and Primary Teachers to build lifelong fitness habits and promote Yoga and Wellness activities across educational institutions.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि क्षमता निर्माण परीक्षण और प्रमाणीकरण सहायता और डिजाईन एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं तक पहुँच के माध्यम से स्थानीय खेल सामग्री निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु सचिव, खेल विभाग द्वारा सचिव, उद्योग विभाग को पत्र के माध्यम से अनुरोध करेंगे।

(viii) Establish a State Sports Volunteer Corps, linked with MY Bharat Institutional wing (NSS) platforms. Implement a "cascading model" (ref. Generations for Peace) for training community sports volunteers.

विकास आयुक्त द्वारा MY Bharat संस्थागत शाखा के प्लेटफॉर्म से राज्य स्तरीय खेल स्वयं सेवक को संबद्ध करने एवं प्रशिक्षण के लिए कैस्केडिंग मॉडल की स्थापना युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग से किए जाने का सुझाव दिया जाय।

(ix) Set up 25,000 NSS units in schools, enrol 25 lakh volunteers each year and introduce MY Bharat Institutional wing (NSS) in 30% of CBSE, KVS, Eklavya & PM Shri Schools. And Village adoption, Swachhata drives, blood donation, health outreach and volunteer mobilisation for disaster relief.

विकास आयुक्त द्वारा विद्यालयों में 25,000 NSS इकाईयों को स्थापित करने, 25,00,000 स्वयंसेवकों का नामांकन करने एवं आपदा राहत के लिए स्वयंसेवकों को जुटान करने संबंधी कार्य युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग से किए जाने का सुझाव दिया जाय।

साथ ही सुझाव दिया गया कि प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में एक दिन सफाई कार्यक्रम निर्धारित की जाय तथा माह में एक दिन विद्यालय के आस–पास के क्षेत्र में श्रम दान के माध्यम से सफाई कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने का सुझाव दिया गया।

(x) State/UTs to onboard on MY Bharat Platform for State led youth, volunteering, and leadership initiatives.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य के नेतृत्व वाली युवा, स्वयंसेवा और नेतृत्व पहलों के लिए 'माई भारत' प्लेटफॉर्म से युवाओं को जोड़ने हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, शिक्षा विभाग के माध्यम से इस संबंध में अग्रेत्तर कार्यार्थ पत्र लिखा जाय।

(xi) Formal recognition of volunteerism in States/UTs as a component of human capital and career development.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी एवं साथ ही स्वयंसेवकों द्वारा जिस विभाग में अपनी सेवा प्रदान की जायेगी, उस विभाग द्वारा स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया।

(xii) Standardised Framework for Doping Awareness, Monitoring and Compliance Mechanism.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि डोपिंग के बारे में जागरूकता, निगरानी और अनुपालन तंत्र के लिए मानक ढांचा तैयार करने के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(xiii) Systematic documentation and digitisation of sports records will be undertaken by formally organising and recognising district and sub-district level tournaments, ensuring continuous mobilisation of sports grounds, and developing a robust digital platform for creation, maintenance and monitoring of sports records to enable transparent tracking and effective identification of sporting talent across disciplines.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि खेल रिकॉर्ड का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और डिजिटाइजेशन करने के लिए जिला और उप–जिला स्तर के टूर्नामेंट को औपचारिक रूप से आयोजित और मान्यता देने, खेल के मैदानों का लगातार इस्तेमाल सुनिश्चित किये जाने और खेल रिकॉर्ड बनाने, बनाए रखने और उनकी निगरानी के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किये जाने के निमित खेलों में खेल प्रतिभाओं की पारदर्शी ट्रैकिंग और प्रभावी पहचान के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(xiv) Sports policy in States: Every State to have a comprehensive Sports Policy, in alignment with the National Sports Policy.

इस संबंध में विकास आयुक्त, बिहार को अवगत कराया गया कि पर्यटन, उद्योग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं वित्त विभाग से उनका मंतव्य नीति प्रारूप पर अप्राप्त है।

इस संबंध में निदेश प्राप्त हुआ कि उक्त तीनों विभागों को अविलंब उनका मंतव्य खेल नीति पर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाय एवं खेल नीति को एक माह में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

(xv) Long-Term Talent Identification and Athlete Development for 2038: Initiate structured training of children aged 8-10 years for long-term athlete development with a view to achieving success in international competitions by 2036; require States to track progress regularly.

इस संबंध में विकास आयुक्त द्वारा 2038 के लिए लंबे समय तक टैलेंट की पहचान और एथलीट डेवलपमेंट 2036 तक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सफलता पाने के मकसद से, 8–10 साल के बच्चों की लंबे समय तक एथलीट डेवलपमेंट के लिए व्यवस्थित ट्रेनिंग शुरू करने, राज्यों से उनकी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को आवश्यक योजना बनाकर उचित माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।

(xvi) Developing Sports Journalism Talent for 2036 Olympics: Nurture dedicated talent in sports journalism within Indian universities, including training in local and

विकास आयुक्त द्वारा शिक्षा विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी विद्यालयों में योगा का प्रशिक्षण अनिवार्य करने एवं राज्य के सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को योगा का प्रशिक्षण प्रदान करने तत्पश्चात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालयों में छात्रों को योगा का प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया गया।

उक्त के क्रम में विकास आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को मुंगेर स्थित योग प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण कराये जाने का भी सुझाव दिया गया।

(iii) Launch a State-Level Coach & PE Teacher Certification & Accreditation Program, linking certificate to career advancement and incentives.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक मान्य खेल विधा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। साथ ही शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का उनकी तकनीकी योग्यता अनुसार डाटा बनाया जाय।

(iv) Launch a "Fit Campus Challenge" integrating sports and wellness in Government academic institutions/Universities, under the FIT India Movement.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि 'फिट इंडिया मूवमेंट' के तहत सरकारी शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में खेल और वेलनेस को शामिल करते हुए 'फिट कैंपस चौलेंज' शुरू करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य के सभी संस्थानों को इस योजना में अधिकाधिक प्रतिभागिता हेतु पत्र लिखा जाय।

(v) Institutionalise a scientific, multistage talent identification program (e.g., Sports and Physical Aptitude Test (SPAT)/Sports and Physical Exercise Evaluation and Development (SPEED) tests for post-12 age groups, ensuring a transparent pathway to state academies.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि वैज्ञानिक, बहुस्तरीय प्रतिभा पहचान कार्यक्रम को संस्थागत रूप देने के लिए खेल और शारीरिक योग्यता परीक्षण/शारीरिक व्यायाम मूल्यांकन और विकास परीक्षण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(vi) Integrate/Create a unified single window digital portal for all athlete welfare schemes, including cash awards, job reservations, pensions and insurance, and to ensure transparency and ease of access.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी एथलीट कल्याण योजनाओं जिनमें नगद पुरस्कार, नौकरी, पेंशन और बीमा शामिल है, के लिए एकीकृत ओपन विंडो पोर्टल तैयार करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(vii) Facilitate local sports goods manufacturers through capacity-building, testing and certification support, and access to design and technology services.

international languages, to strengthen India's ability to engage effectively on global platforms in the run-up to the 2036 Olympics.

इस संबंध में विकास आयुक्त द्वारा 2036 ओलंपिक के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में टैलेंट तैयार करने, 2036 ओलंपिक से पहले ग्लोबल मंचों पर असरदार ढंग से जुड़ने हेतु भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए, भारतीय यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के समर्पित टैलेंट को बढ़ावा देने और उन्हें लोकल और इंटरनेशनल भाषाओं में ट्रेनिंग देने हेतु बिहार खेल विश्वविद्यालय को राज्य के वरीय खिलाड़ियों को खेल पत्रकारिता के विषय में आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने हेतु सुझाव दिया गया।

(xvii) Sports equipment manufacturing: Conference with a focus on branding and international exposure may be organized for those who can focus on capturing the global sports equipment market through low-cost high-quality products.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि कीमत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के जरिए वैश्विक खेल–सामान बाजार पर कब्जा करने हेतु खेल के सामान का निर्माण करने, उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने पर केंद्रित एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के संबंध में सचिव, खेल विभाग द्वारा सचिव, उद्योग विभाग को फुटबॉल एवं स्पोर्ट्स शूज का व्यावसायिक उत्पादन बिहार राज्य में करने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध करेंगे।

(xviii) Online gaming: To leverage interest of kids in Online Games and access to affordable data, creative and innovative gaming start-ups should be encouraged.

विकास आयुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, बच्चों की ऑनलाइन गेम्स में दिलचस्पी और सस्ते डेटा की उपलब्धता का फायदा उठाने के लिए, क्रिएटिव और इनोवेटिव गेमिंग स्टार्ट--अप्स को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(xix) Sports Promotion: Volunteers registered on MY Bharat platform to promote sports.

इस संबंध में निदेश दिया गया कि खेल से संबंधित कार्यक्रमों को युवाओं के बीच प्रचलित करने के लिए युवाओं के निबंधन हेतु MY Bharat Platform के उपयोग हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को पत्र लिखा जाय।

3. वार्षिक खेल स्कीम के व्यय की समीक्षा।

(i) आओ खेलो एवं विभाग द्वारा अन्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन, विषय शीर्ष–20–02 अन्तर्गत कुल 100.00 करोड़ रूपये मात्र उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में कराये जाने वाले सभी प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का वार्षिक कैलेण्डर व प्रतियोगिता पर संभावित व्यय का आकलन कर स्वीकृति प्राप्त किया जाय।

(ii) खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय शीर्ष–20–03 अन्तर्गत कुल 20.00 करोड़ रूपये मात्र उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में शेष एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने एवं उस पर संभावित व्यय का आकलन करने का निदेश दिया गया।

(iii) खेल एवं जिम उपकरण विषय शीर्ष–52–01 अन्तर्गत कुल 10.00 करोड़ रूपये मात्र उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलों से नियमानुसार जिम अधिष्ठापन का प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति व शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराए जाने का निदेश दिया गया।

(iv) मांग संख्या–03 अन्तर्गत विषय शीर्ष–53–01 एवं 53–02 अन्तर्गत कुल 350.00 करोड़ रूपये मात्र उद्व्यय कर्णांकित किया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं एवं अन्य योजनाओं को उनके दिये गये समय पर पूर्ण करने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया। साथ ही भवन निर्माण विभाग को संवेदकों के साथ बैठक करने एवं नियमानुसार ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में राशि की कटौती हेतु निदेश दिया गया।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में लगभग 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। पवेलियन का काम पूर्ण हो चुका है, शेष 3 दर्शक दीर्घाओं का निर्माण कार्य जारी है। 31 दिसंबर, 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके लिए कुल ₹1,121 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है।

सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को निदेश दिया गया कि राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के निर्माण हेतु चयनित संवेदक के साथ बैठकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय। साथ ही निर्माण में हुए विलंब हेतु संवेदक को दंडित करने का निदेश दिया गया।

(vi) बिहार खेल कैलेंडर (वर्ष 2026)

विकास आयुक्त द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपलब्ध राशि के अन्तर्गत खेल कैलेण्डर के निर्माण कार्यकारिणी समिति से अनुमोदित कराने का प्रस्ताव दिया गया।

(vii) मोईनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर में बी.सी.सी.आई. के प्रतिनिधि बी.सी.ए. द्वारा निर्माणाधीन स्टेडियम में मैच आयोजन के समय यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, उक्त हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया कि मोईनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर हेतु पहुँच पथ के लिए प्रस्ताव पर आकलन किया जाय।

(viii) 'बी.पी. सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना के 8 एकड़ के परिसर को प्रीमियम खेल सुविधा के रूप में अपग्रेड किया जाना है। इस हेतु पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किये जाने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद, बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–	ह०/–	ह०/–
सचिव,	विकास आयुक्त,	मंत्री,
खेल विभाग।	बिहार।	खेल विभाग।

ज्ञापांक–4/स्टे० 1–231/2025.2390 पटना, दिनांक–25.6./2026

प्रतिलिपिः– सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/ सचिव, खेल विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/निदेशक, खेल विभाग/अपर मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन/सभी संबंधित पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
खेल विभाग, बिहार, पटना।